तारीख हुक्म

हुक्म की तामील में जारी हुए

11/2021 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया जो प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया। कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित खसरों का सीमांकन करवा कर पत्थरगढी करने के आदेश करने हेतु निवेदन किया। कि ग्राम मैलावास तहसील बावड़ी के विवादित खसरा संख्या 1254/7 भू-भाग, व 1254/5 भू-भाग पास में होने से उनके मध्य भुजा के सीमाज्ञान की स्थिती स्पष्ट नहीं दिखती है। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विवादित आराजी ग्राम मैलावास तहसील बावड़ी के खसरा संख्या 1254/7 रकबा 0.6[illegible] होने से प्रार्थी द्वारा अपने हक हिस्सा अनुसार सीमांकन करवा कर पत्थरगढी करवाना चाहते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.02.23 16:15:16 IST
Reason: SelfAttested

...क कलेक्टर एवं ...धिकारी, बावड़ी

प्रकरण के अवलोकन से यह बात निःसंदेह जाहिर होती है कि प्रार्थी स्वयं की भूमि की पत्थरगढ़ी बाद सीमांकन करवाने के अधिकारी है। उन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मैलावास तहसील बावड़ी के विवादित खसरा सं. 1254/7 भू भाग व खसरा सं. 1254/5 भू भाग पास में होने से उनके मध्य भुजा के सीमाज्ञान की स्थिती स्पष्ट नहीं दिखती है। तहसीलदार बावड़ी को ग्राम मैलावास के खसरा संख्या 1254/7 व खसरा संख्या 1254/5 भू भाग के मध्य भुजा का सीमांकन करते हुए पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते हैं। वक्त पत्थर गढ़ी करते समय आवश्यकता पड़ने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद तहसीलदार [illegible] करें।

निर्णय आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में मजमे आम सुनाया गया। तहसीलदार बावड़ी को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pa
Date: 2022.02.23 16:15:16 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म
में

शुमार होकर नम्बर से कम होकर
दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.02.23 16:15:16 IST
Reason: SelfAttested